संख्या:23/2021/ 1095/12-2-2021-एफ.42/2001

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 मई, 2021

विषय:उर्वरक रैक का जनपदों में निर्धारित समय सीमा के अन्दर अनलोडिंग कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव (उर्वरक), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या 18-8/2020-एफ0एम0 दिनांक 25.5.2021 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से निर्विवाद रूप से उर्वरक रैक की अनलोडिग व मूवमेंट को कोविड-19 के स्थानीय प्रतिबंधों से छूट देने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा एक सूची भी संलग्न की गयी है जिसमें उर्वरक रैक की अनलोडिंग में विलम्ब हुआ। उपरोक्त सूची पत्र के साथ संलग्न है।

आप सहमत होंगे कि खरीफ अभियान आरम्भ हो चुका है तथा उर्वरक का जनपदों तक रेल अथवा सड़क मार्ग के माध्यम से तेजी से यातायात हो रहा है। कृषि संबंधित कार्यो को कोविड के स्थानीय प्रतिबंधों से छूट पहले ही दे दी गयी है।

उर्वरक कम्पनियों के स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक में यद्यपि उनके द्वारा कोविड के प्रतिबंधों के कारण उर्वरक का यातायात अथवा श्रमिकों के आवागमन के बाधित होने का कोई उल्लेख नहीं किया है, परन्तु जनपद स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा आवश्यक है। कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा कतिपय स्थानों पर लोडिंग व अनलोडिंग हेतु पर्याप्त श्रमिक की उपलब्धता न होने की समस्या से अवगत कराया गया है। यह समस्या विशेष रूप से पूर्वांचल के जनपदों मे है जहॉ बिहार राज्य से आए श्रमिक सम्भवत: वापस चले गये हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अत: उपरोक्त के दृष्टिगत निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उर्वरक रैक अनलोडिंग कराने के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही करायी जाय:-

1. जिलाधिकारी अगले दो दिन के अन्दर उर्वरक कम्पनियों के स्थानीय प्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर लें और उर्वरक की लोडिग अनलोडिंग एवं यातायात के सम्बन्ध में अगर कोई समस्या आ रही हो तो उसका निराकरण सुनिश्चित करें।
2. जिन जनपदों में बाहर से श्रमिक पर निर्भरता थी एवं उनके प्रवास करने से समस्या उत्पन्न हो वहॉ स्थानीय श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाये।
3. यह सुनिश्चित किया जाये कि उर्वरक रैक अनलोडिग एवं मूवमेंट का कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में लगाये गये प्रतिबंधों की वजह से किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो।

अत: उपरोक्तानुसार नियमित समीक्षा करते हुए जनपदों से प्राप्त होने वाली उर्वरक रैक का निर्धारित समय के अन्दर अनलोडिंग एवं मूवमेंट कराने हेतु कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:23/2021/1095(1)/12-2-2021 तददिनांक।

1. प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से जिलाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों/पुलिस आयुक्त को निर्देशित करना चाहें।
2. निदेशक, कृषि को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।